

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1983/पौष 16, 1984  
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1983/PAUSA 16, 1984

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1983

सं. 5/83-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 11(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, निवेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1716 तारीख 19 जुलाई, 1969 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

1161 GI/82

(1)

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में, "बाग्री (अपयटक) सामान, नियम, 1960 और निवास स्थान अंतरण नियम, 1969" शब्दों, जंको और कोष्ठको के स्थान पर "सामान नियम, 1978 और निवास स्थान अंतरण नियम, 1978" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[सं. 496/2/82-सीमाशुल्क]

के. कुमार, जवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1983

No. 5/83-CUSTOMS.

G. S. R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1716, dated the 19th July, 1969, namely :—

In the proviso to the said notification, for the words and brackets "the Passengers (Non-Tourist) Baggage Rules, 1960, and the Transfer of Residence Rules, 1969", the words and figures "the Baggage Rules, 1978, and the Transfer of Residence Rules, 1978" shall be substituted.

[No. 496/2/82-Cus. VI]

K. KUMAR, Under Secy.